उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या—3330—औ०सं० / 2025—2(यू0)ए०एस० / 2018 **दिनांक 21 नवम्बर 2025**

ई—मेल / तत्काल कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः—उ०प्र० पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ, के द्वारा दिनांक 26.11.2025 को शक्ति भवन लखनऊ पर विरोध प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ ने पत्र सं०—4 / 25 दिनांक 04.11.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 26.11.2025 को शक्ति भवन, लखनऊ पर विरोध प्रदर्शन करने एवं मांगों का समाधान न होने पर अनिश्तिकालीन आन्दोलन करने का आह्वान किया गया है। इसके अतिरिक्त अपनी मांगों को लेकर मा० ऊर्जा मंत्री जी के आवास पर जाने की सूचना इंगित की है।

उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—I / 983941—2025 दिनांक 05.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या—30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या—I / 13633 / 2025—IR—17—159—ए०एस० / 67 दिनांक 10.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन / प्रदर्शन / कार्य बहिष्कार करना नियमतः अनुमन्य नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 26.11.2025 को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाय कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे एवं किसी भी आउटसोर्स कर्मी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डा० जॉन मथाई)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या–3330–औ0सं0/2025, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0,वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन, लखनऊ एवं मा0 मंत्री जी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था एवं वीडियोग्राफी कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक (औ0स0)

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माधुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत
संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 4/25 दिनांक 4-11-2025

For Chairman & MD UPPCL

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय— उ०प्र० पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2017 के अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने, बार–बार अनुरोध करने के बावजूद भी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध न कराने, नियम विरूद्ध कर्मचारियों को कार्य से हटाने, पूर्व में हुए समझौते एवं आदेशों का पालन न करने आदि के कारण आन्दोलन करने के सम्बन्ध में।

माननीय जी/महोदय जी,

अवगत कराना हैं कि –

1. यह कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा 15 मई 2017 को 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेन्द्रों पर 20 आउटसोर्स कर्मचारियों को तथा शहरी विद्युत उपकेन्द्रों पर 36 आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया है। किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर ग्रामीण विद्युत उपकेन्द्रों पर 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को तथा शहरी विद्युत उपकेन्द्रों पर 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है तथा शेष कर्मचारियों को छटनी के नाम पर कार्य से हटा दिया गया है, जिससे उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण करने का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

P(I)SO
क्र० प्रस्तुत करायें।
07-11-25

2. यह कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने एवं हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने पर संगठन द्वारा किये गये विरोध के उपरान्त दिनांक 23.05.2025 को संगठन पदाधिकारियों व पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन के बीच हुई बैठक वार्ता के बाद 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य में कर्मचारियों को तैनात करने हेतु मानक निर्धारित करने के लिए पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा समिति का गठन किया गया तथा कहा गया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद छटनी में हटाये गये कर्मचारियों को रिपोर्ट के आधार पर कार्य पर वापस लेने हेतु उचित कार्यवाही किया जायेगा। 3 माह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी समिति द्वारा रिपोर्ट न दिये जाने के कारण संगठन द्वारा पुनः विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप दिनांक 04.09.2025 को पावर कार्पोशन प्रबन्धन व संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक वार्ता सम्पन्न हुई जिसमें अध्यक्ष, पावर कार्पोशन द्वारा 15 दिन के अन्दर मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए छटनी में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस ल लेने हेतु संगठन पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया था। किन्तु दो बार पत्र के माध्यम से अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक न तो मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी और न ही छटनी में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया गया और न ही उक्त तिथियों में हुए समझौते का पालन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

क्रमशः 2

पत्रांक : 4/25 (2) दिनांक 4-11-2025

3. यह कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अनुभवी कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया/हटाया जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण अकुशल कर्मचारियों से लाइनों पर कार्य कराया जा रहा है, जिससे उनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हटाये गये कर्मचारियों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण करने का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जबकि उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित आउटसोर्स निगम में कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करने का प्राविधान रखा गया है।

4 यह कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 18.09.2025 को किये गये आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है।

5. यह कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों के बेहतर उपयोग करने एवं विभाग पर आर्थिक भार कम करने तथा सुधार के नाम पर वर्टिकल व्यवस्था लागू किया जा रहा है। वर्टिकल व्यवस्था लागू करने से जहां एक तरफ विभाग पर अधिक आर्थिक भार पड़ेगा तथा उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा वही दूसरी तरफ कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी एवं बड़े पैमाने पर आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार होंगे, जो न तो विभाग हित में है और न ही उपभोक्ता एवं कर्मचारी हित में है।

6. यह कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर मेसर्स अवनी परिधि एवं मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी के विरूद्ध जांच अधिकारी द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट में उक्त संविदाकारों को दोषी पाया गया था तथा जांच अधिकारी द्वारा उक्त संविदाकारों के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

7. यह कि जांच अधिकारी द्वारा मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति के खिलाफ दी गयी जांच रिपोर्ट के बावजूद भी मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति द्वारा हमीरपुर जनपद में आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे में किये गये घोटाले की रकम को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया जा रहा है।

8. यह कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी मेसर्स एस0के0 इलेक्ट्रिकल्स, मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0 द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये घोटाले की रकम को उनके जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया जा रहा है।

9. यह कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी मेसर्स नेशनल कम्पनी से आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0सी0आर0 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर में जमा कराने हेतु उचित कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, कानपुर में जमा पैसे का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है।

10. यह कि बार-बार मांग करने के बावजूद भी मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0, मेसर्स जनमेजय सिंह, मेसर्स सुनीता चौबे, मेसर्स भारत इण्टर प्राइजेज, मेसर्स चाहत सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच नहीं करायी जा रही है।

क्रमशः 3

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर सासद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341 | सयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक के.डी. मिश्र | संयुक्त मंत्री मोती सिंह | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 4/25 दिनांक 4-11-2025

11. यह कि संघ द्वारा बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी संघ के पत्र सं0– 15/4 दिनांक 15.04.2023 के साथ संलग्न सूची में वर्णित कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर भुगतान नहीं किया जा रहा है।

12. यह कि संविदाकारों द्वारा मीटर रीडरों को 16 रूपये प्रति बिल के हिसाब से वेतन का भुगतान करने के स्थान पर कम पैसे का भुगतान किया जा रहा है तथा ई0पी0एफ0 के आधे अधूरे पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जा रहा है।

13. यह कि जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। उन क्षेत्रों के मीटर रीडरों को किसी अन्य कार्य में समायोजित करने के स्थान पर कार्य से हटा दिया जा रहा है। जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जा रहा है।

अतः माननीय जी/श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि उक्त समस्याओं को गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए दिनांक 13.11.2025 तक समाधान कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में संघ द्वारा दिनांक 14.11.2025 को सभी जिला मुख्यालयों पर पावर कार्पोरेशन का ध्यान उक्त समस्याओं के तरफ आकृष्ट करने हेतु ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जायेगा तथा इससे भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन द्वारा दिनांक 26.11.2025 को समस्याओं के समाधान हेतु शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन किया जायेगा। यदि इसके बावजूद भी समस्याओ का समाधान नहीं हुआ तो संगठन द्वारा अनिश्चित कालीन आन्दोलन शुरू करते हुए मा0 ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर समस्याओं से अवगत कराया जायेगा। जिसमें होने वाले किसी भी प्रकार की औद्योगिक अशान्ति अथवा क्षति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

संलग्नक- मांग पत्र संलग्न.

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 नं0 : 8400754341

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. श्रीमान अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
5. श्रीमान पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट) महोदय, महानगर, लखनऊ।
6. श्रीमान पुलिस उपायुक्त (कमिश्नरेट), हजरतगंज, लखनऊ।
7. श्रीमान अपर श्रमायुक्त, ए0पी0सेन रोड, चारबाग, लखनऊ।
8. समस्त दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

[redacted] रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8585087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माधुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत
संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 4/25 दिनांक 4-11-2025

मांग–पत्र

1. उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के आदेश दिनांक 15.05.2017 व साल दर साल उपभोक्ताओं की संख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये तथा छटनी के नाम पर हटाये गये आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाये।

2. दिनांक 23.05.2025 व 04.09.2025 को संगठन पदाधिकारियों व पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन के बीच हुई बैठक वार्ता में बनी सहमति का पालन कराया जाये।

3. आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति दी जाये तथा 55 वर्ष का हवाला देकर हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाये।

4 पावर कार्पोरेशन के आदेश दिनांक 18.09.2025 का पालन कराया जाये।

5. वर्टिकल व्यवस्था लागू करने के आदेश को वापस लिया जाये।

6. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2018 का पालन कराया जाये।

7. मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर हुई जांच में जांच अधिकारी द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स अवनी परिधि व मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

8. जांच अधिकारी द्वारा मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति के विरूद्ध दी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

9. मेसर्स एस0के0 इलेक्ट्रिकल्स व मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन द्वारा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की धनराशि को उनके जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

10. मेसर्स नेशनल कम्पनी से कर्मचारियों के ई0सी0आर0 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर में जमा कराया जाये।

11. मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0, मेसर्स जनमेजय सिंह, मेसर्स सुनीता चौबे, मेसर्स भारत इण्टर प्राइजेज, मेसर्स चाहत सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच करायी जाये।

12. संघ के पत्र सं0 15/4 दिनांक 15.04.2023 के साथ संलग्न सूची में वर्णित कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी गयी गलत आख्या की जांच कराते हुए कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों बिल से काटकर भुगतान किया जाये।

13. यह कि मीटर रीडरों को 16 रूपया प्रति बिल के हिसाब से वेतन का भुगतान कराया जाये तथा ई0पी0एफ0 के कटे पैसे को मानक के अनुरूप उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये एवं स्मार्ट मीटर लगने की स्थिति में उन्हें विभाग के किसी अन्य कार्य में समायोजित किया जाये।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 नं0 : 8400754341

क्रम-संख्या—89

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 जून, 2025
ज्येष्ठ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग—2

संख्या I / 983941-2025
लखनऊ, 5 जून, 2025

अधिसूचना

आदेश

प०आ०—90

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या 866 / 24—पी—2—24—1(121) / 04, दिनांक 06.12.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1—उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3—उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4—कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5—मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6—पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7—पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8—दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9—U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd. लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,
राजकुमार,
विशेष सचिव।

(शशी शेखर यादव)
अपर निजी सचिव
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

अपर निजी सचिव
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा०)

GM (IR) Camp
No.....890........
Date..10/06/25.

(Pradeep Kumar)
GM (IR)

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/983941-2025, dated June 5, 2025 :

No. I/983941-2025

Dated Lucknow, June 5, 2025

WHEREAS the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no. 866/24-P-2-24-1(121)/04, dated 06.12.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
RAJKUMAR,
Vishesh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 54 राजपत्र–2025–(158)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 ऊर्जा–2025–(159)–250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
54 RPH (Urja Anubhag-2) 2025 Data 7c

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/13633/2025-IR-17-159—ए0एस0/67 दिनांक 10-06-2025

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/ मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०, एवं केस्को,
वाराणसी/ लखनऊ/ मेरठ/ आगरा एवं कानपुर।

विषय- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941—2025 दिनांक 05.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय
PKumar
(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(ii),औ०सं०/2025, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941—2०25 दिनांक 05.06.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।**
2. **प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।**
3. **प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/एस०एल०डी०सी०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।**
4. **पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।**
5. **निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/ वित्त/ वितरण/ वाणिज्य/ कारपोरेट प्लानिंग/आई०टी० उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।**
6. **निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।**

7. अपर सचिव-I/ II /III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(iii),औ०सं०/2025, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नकः- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)